उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10
संख्या– 356/आठ–10–2023
लखनऊः दिनांक 22 जून, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में मौलिक रूप से नियुक्त/कार्यरत विधि निरीक्षक की ज्येष्ठता सूची निम्नांकित नियमों एवं सिद्धातों के आधार पर प्राख्यापित की गयी हैः–

1. यह कि विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में नियुक्त विधि निरीक्षक की पारस्परिक ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उस क्रम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखें गए हों, अवधारित की जायेगी।

''मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो कि तदर्थ नियुक्ति न हो, और सेवा से सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गई है अर्थात् मौलिक नियुक्ति के अन्तर्गत तदर्थ नियुक्ति, स्थानापन्न नियुक्ति, दैनिक वेतन पर नियुक्ति, वर्कचार्ज पर नियुक्ति या संविदा पर की गयी नियुक्ति या अन्तरोधन प्रबन्ध में की गयी नियुक्ति सम्मिलित नहीं है परन्तु किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक नियुक्तियों के आदेश जारी किये जाये तो ज्येष्ठता वही होगी जो उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 के नियम–25(3) अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।''

(1) किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और, यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्त के आदेश में रखे गये हो, अवधारित की जायेगी।

परन्तु यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 25 के उप नियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के आदेश में रखे गये हो, अवधारित की जायेगी।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो।

'प्रतिबन्ध यह है कि सीधी भर्ती से नियुक्त किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधि मान्य कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है किन्तु कारणों की विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।'

'अग्रतर यह पुनः प्रतिबन्ध है कि पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्ति, पूर्ववर्ती चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे।'

(3) किसी भी व्यक्ति को विधि निरीक्षक के पद पर कार्य करने की तिथि से अथवा जन्मतिथि के आधार पर कोई ज्येष्ठता अनुमन्य नहीं होगी। ज्येष्ठता का एक मात्र आधार विधि निरीक्षक के पद पर मौलिक नियुक्ति के आदेश की तिथि होगी।

(4) यदि किसी व्यक्ति को विधि निरीक्षक के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया हो अथवा तदर्थ रूप से पदोन्नत किया गया हो और बाद में सुसंगत विनियमितीकरण नियमावली के अन्तर्गत उनकी तदर्थ नियुक्ति को अथवा उनकी तदर्थ पदोन्नति को विनियमित कर दिया गया हो तो ऐसे व्यक्तियों को विधि निरीक्षक के पद पर विनियमितीकरण किये जाने की तिथि ही उस संवर्ग में उसकी मौलिक नियुक्ति की तिथि होगी और विनियमितीकरण की तिथि से ही उन्हें विधि निरीक्षक संवर्ग में ज्येष्ठता अनुमन्य होगी अर्थात् ऐसी स्थिति में उसकी तदर्थ नियुक्ति/तदर्थ पदोन्नति की तिथि से उसे ज्येष्ठता नहीं प्राप्त होगी, जिस तिथि को उस व्यक्ति की तदर्थ नियुक्ति/तदर्थ पदोन्नति का विनियमितीकरण हुआ हो और वह सेवा/संवर्ग का मौलिक सदस्य बना उसी तिथि से उसे विधि निरीक्षक संवर्ग में ज्येष्ठता प्राप्त होगी।

(5) विधि निरीक्षक की इस ज्येष्ठता सूची के प्राख्यापन मात्र से इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि विधि निरीक्षकों का पद अकेन्द्रीयित सेवा का पद है और इसका नियुक्ति प्राधिकार उपाध्यक्ष/अध्यक्ष में ही निहित है।

2. उक्तांकित नियमों/सिद्धान्तों के आलोक में उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में मौलिक रूप से नियुक्त/कार्यरत विधि निरीक्षक की **ज्येष्ठता सूची संलग्न** है।

संलग्नकः यथोक्त।

22-6-23

(डा0 अलका वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या–356 /आठ–10–2023, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–7 को सूचनार्थ प्रेषित।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजमणि)
अनु सचिव।

UO Dhirendra Sir 2023

<u>संख्या–356 (1)/आठ–10–2023–तद्दिनांक का संलग्नक।</u>

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा के विधि निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूचीः–

क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	श्रेणी	विधि निरीक्षक पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	तैनाती/विकास प्राधिकरण का नाम
1	श्री दिनेश चन्द्र मिश्र पुत्र श्री शिवनाथ मिश्रा	15.11.1964	सामान्य	28.02.2011	प्रयागराज विकास प्राधिकरण
2	श्री महादेव प्रसाद पुत्र स्व0 लौटू राम	20.06.1966	अनुसूचित जाति	20.08.2020	वाराणसी विकास प्राधिकरण

राजमणि

(राजमणि)

अनु सचिव।